



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं०: 3687-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2023-15-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक :23.11.2023

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक: 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक: 01.07.2023 से बढ़ी दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 1551-मा०सं०प्र०-02/ उनिलि/2023-15-मा०सं०प्र०-02/2001, दिनांक: 12.06.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 25/2023/आई/424662/2023/फा०नं०-10-22099/1401/2020, दिनांक: 08.11.2023 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक: 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक: 01.07.2023 से महंगाई राहत की विद्यमान ब्यालिस प्रतिशत (42%) की दर बढ़ाकर छियालिस (46%) किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

2- पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक: 01.07.2023 से (04%) चार प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान ब्यालिस प्रतिशत (42%) की दर निम्नवत् हो जायेगी:-

क्र० सं०	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
01	01 जुलाई, 2023	04 प्रतिशत	46 प्रतिशत

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होंगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं० 1054-डब्ल्यू०सी०/राविप-आ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक: 10.06.1988 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)/महाप्रबन्धक (लेखा)/ उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5- महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व नियमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

सं०: 3687-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2023, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।

क्रमशः-2

7. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
8. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/1X660 पनकी/2X660 जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।
10. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I) (पीपीएमएम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (स्तर- II), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
12. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I), तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता (स्तर- II), ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्ड एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद/ जानपद नव-परियोजना/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता (निर्माण)/जानपद, 2X660 जवाहरपुर तापीय परियोजना, मलावन (एटा)।
15. महा प्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. अधीक्षण अभियन्ता(01/03/04/05/06)/ (टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/रिफार्म/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/ जानपद/प्रशिक्षण/डाटाबेस/रिफार्म, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
19. उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
21. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/1X660 पनकी ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
22. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
23. समस्त अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी (मानव संसाधन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
24. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वे० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
25. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ।
26. कट फाइल।

5/25/11/2023

(दिवाकर स्वरूप)

उप महाप्रबन्धक (मा०सं०प्र०-02)